न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–339/2009

मृतक बालदेव प्रसाद के विधिक वारिसान.....वादीगण

बनाम

मंकेश्वर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.03.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से आज एक आवेदन दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने एवं भूमि का स्वरूप परिवर्तित करने से रोकने के लिए दिनांक 29.02.2024 को आदेश 39 नियम 1सी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया तथा अलग से निर्धारित तिथि को वापस लेकर आवेदन पर सुनवाई का निवेदन किया। वादीगण के आवेदन के आलोक में न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि 23.03.2024 को वापस लेकर सुनवाई हेतु आज दिनांक 04.03.2024 को निर्धारित की गयी तथा प्रत्युत्तर की माँग करते हुये प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने का मौखिक आवेदन दिया गया। प्रतिवादीगण ने आज प्रत्युत्तर दाखिल नही किया तथा न ही न्यायालय के आदेश का पालन किया। न्यायालय के मौखिक आदेश के बावजूद प्रतिवादी अपनी हरकत से बाज नही आये तथा लगातार निर्माण कार्य कर रहे है। वादीगण की ओर से आवेदन के साथ दाखिल छायाचित्र तथा आज दाखिल छायाचित्र से स्पष्ट है। प्रतिवादीगण न्यायालय के मौखिक आदेश की अवहेलना कर वाद के लंबित अवस्था में वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर स्वरूप परिवर्तन कर रहे है, जिसे रोकना न्यायहित में अति आवश्यक है, अन्यथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि वादीगण के निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश देने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से दिनांक 29.02.2024 को एक निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1सी एवं धारा	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–339/2009

मृतक बालदेव प्रसाद के विधिक वारिसान.....वादीगण

बनाम

मंकेश्वर प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.03.2024	151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया तथा निषेधाज्ञा आवेदन के साथ वादीगण के ओर से वादग्रस्त भूमि से संबंधित एक फोटोग्राफ्स लगाया जिसमें वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। न्यायालय के द्वारा आज दिनांक को निषेधाज्ञा आवेदन के प्रत्युत्तर एवं सुनवाई हेतु अभिलेख रखा गया तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को मौखि निर्देश दिया कि वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य न करें। आज दिनांक 04.03.2024 को वादीगण की ओर से उक्त आवेदन के साथ 02 फोटोग्राफ्स दाखिल किये जिनसे प्रथम दृष्ट्या दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निर्माण कार्य बंद किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद लंबन के दौरान निर्माण कार्य किया गया। वादग्रस्त भूमि का सरंक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का सरंक्षण न्यायालय करें। वादीगण की ओर से दिनांक 29.02.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा आवेदन भी दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 04.03.2024 को स्वीकार करते हुये उभय पक्षों को निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई तक यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित थाना को आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें। आगामी दिनांक 21.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	